



कार्यालय, परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)



icdskoilibeda.kan@gmail.com

Phone No. 9770418763

कमांक / 544 / मबावि. / स्था. / 2026-27

कोयलीबेड़ा. दिनांक- 28 / 09 / 2026

परिशिष्ट-एक (विज्ञापन)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित

// सूचना //

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, डी.के.एस.भवन, रायपुर क्रमांक 728 / 1098 / 2008 / मबावि / 50 रायपुर दिनांक 02.04.2008 एवं विभागीय संशोधित आदेश क्रमांक 1226 / 1098 / 2008 / मबावि / 50 नवा रायपुर दिनांक 21.04.2023 के तहत निम्नानुसार ऑ0बा0 केन्द्र में कार्यकर्ता एवं सहायिका पद रिक्त होने के कारण इस पद पर नियुक्ति की जानी है। संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग इन्द्रावती भवन नवा रायपुर का पत्र दिनांक 07.01.2026 के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का भर्ती आनलाईन प्रक्रिया द्वारा किया जाना है। नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन दिनांक 28 / 09 / 2026 से 12 / 10 / 2026 तक आवेदन केवल ऑनलाईन माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदिका नीचे दिए गए लिंक अथवा ई-भर्ती साईड के माध्यम से नियत तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। नियत तिथि पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। (भर्ती लिंक <https://aww.e-bharti.in/>) आंगनबाड़ी केन्द्रवार रिक्त पद की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	ग्राम पंचायत नाम	ग्राम का नाम	केन्द्र का नाम	पद का नाम एवं पद सं.		रिमार्क
				कार्यकर्ता	सहायिका	
1	2	3	4	5	6	7
1	कोयलीबेड़ा	कोयलीबेड़ा	कोयलीबेड़ा गोड़पारा	1	0	
	योग:-			1	0	

आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार अर्हताएं हैं:-

1. आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के माध्य होनी चाहिए। (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली सहायिका को नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जावेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का पद केवल महिलाओं के लिए होगा।)
2. आयु की गणना नियुक्ति प्रक्रिया की सूचना जारी होने की तिथि से की जावेगी। सेवा की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष होगी।
3. आवेदिका उसी ग्राम की स्थायी निवासी होना चाहिए, जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है, (शहरी क्षेत्रों में आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होना चाहिए।)

4. निवासी होने के प्रमाण में (1) ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में दर्ज नाम एवं नगरीय क्षेत्र होने पर संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो, तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगायी जावे। अथवा (2) ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में की जावे वाली नियुक्ति में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड ग्राम एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जावेगा।
5. नव विवाहित महिला/ विधवा आवेदिका के प्रकरण में शपथ-पत्र (स्टाम्प) एवं पर्यवेक्षक का सत्यापन पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. आवेदन फार्म के साथ संलग्न की जावे वाली सभी दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा स्व प्रमाणित कर लगाये जावेंगे।

7. आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए:-

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु	12 वीं अथवा 11 वी बोर्ड उत्तीर्ण
------------------------------	----------------------------------

टीप:- उपरोक्तानुसार शहरी/ग्रामीण/आदिवासी परियोजना, में कोई आवेदिका न मिलने पर कार्यकर्ता पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर दसवीं बोर्ड रखी जावेगी, इस अनुसार भी कोई आवेदिका न मिलने पर पुनः शिथिल मानकर आठवीं बोर्ड एवं इसके उपरान्त भी आवेदिका न मिलने पर पांचवी उत्तीर्ण रखी जावेगी। सहायिका पद में भी उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता वाली आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल कर कम शैक्षणिक योग्यता के आवेदन पत्र भी विचार किया जावेगा।

- (1) अनुभवी सहायिका/सह सहायिका होने पर गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार की महिला होने तथा विधवा परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिया जावेगा।
8. अनुसूचित जाति, जनजाति की महिला होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. गरीबी रेखा परिवार की महिला होने पर सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना वर्ष 2011 की सर्वे सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।
10. विधवा परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जावे अथवा तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायालय आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। परित्यक्ता महिला के संबंध में 02 वर्ष से अधिक की अवधि को ही मान्य किया जावेगा।

11. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु मूल्यांकन:-

क्र.	योग्यता	प्रदाय किये जाने वाले अंक	कुल अधिकतम प्राप्तांक
1	12 वीं बोर्ड अथवा 11 वीं बोर्ड, जो भी लागू हो अथवा उपरोक्तानुसार आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर निर्धारित की गई शैक्षणिक योग्यता	कुल प्राप्त अंकों के प्रतिशत के 60 प्रतिशत अंक के बराबर अंक	60
2	विधवा अथवा कम से कम दो वर्ष से अधिक समय तक परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा होने पर	15 अंक	15
3	अनुसूचित जाति /जनजाति वर्ग की महिला होने पर (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र)	10 अंक	10
4	पूर्व से कार्यरत अनुभवी कार्यकर्ता /सहायिका/सहसहायिका होने पर	1 वर्ष या उससे अधिक के अनुभव पर 6 अंक	06
5	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला होने पर (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र)	6 अंक	06
6	अनुसूचित जाति /जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में आठवीं तक अध्ययन करने पर	3 अंक	03
योग अधिकतम प्राप्तांक			100 अंक

उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। इन्हें केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा।

(जमेश्वर परते)

परियोजना अधिकारी

एकीकृत बाल विकास परियोजना
कोयलीबेड़ा, जिला-उ.ब.कांकेर (छ.ग.)
कोयलीबेड़ा. दिनांक- 28/09/2026

पृ.क्रमांक/ 545/मबावि./स्था./2026-27

प्रतिलिपि:-

1. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं महिला विकास विभाग कांकेर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पंखाजूर/कोयलीबेड़ा जिला-कांकेर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला-कांकेर की ओर सादर प्रेषित।
4. खण्ड शिक्षा अधिकारी कोयलीबेड़ा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वा. केन्द्र कोयलीबेड़ा की ओर सादर सूचनार्थ।
6. संबंधित पर्यवेक्षक सेक्टर.....की ओर सूचनार्थ एवं प्रचार-प्रसार हेतु पालनार्थ।
7. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत.....की ओर सूचनार्थ।

परियोजना अधिकारी

एकीकृत बाल विकास परियोजना
कोयलीबेड़ा, जिला-कांकेर (छ.ग.)